Roll No.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
----------	---

CD-129

M. Com. (Fourth Semester) (ATKT) EXAMINATION, 2020

(Optional-Specialization)

[Optional Group (D): Taxation and Accounting]

Paper Second

INDIRECT TAX

Time: Three Hours

Maximum Marks: 80

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt all the *five* questions. *One* question from each Unit is compulsory. All questions carry equal marks.

इकाई—1

(UNIT—1)

- उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (i) उत्पाद शुल्क योग्य माल
 - (ii) उत्पाद शुल्क

[2] CD-129

- (iii) कारखाना
- (iv) निर्माता की अवधारणा
- (v) शुल्क योग्य मूल्य
- (vi) निर्माण
- (vii) उत्पादन
- (viii)माल

Write short notes on any *four* from the following under Central Excise Act:

- (i) Excisable Goods
- (ii) Excise Duty
- (iii) Factory
- (iv) Concept of Manufacturer
- (v) Excisable Value
- (vi) Manufacture
- (vii) Production
- (viii) Goods

अथवा

(Or)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 माल में वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख प्रावधानों को उदाहरण सहित समझाइए।

Discuss with example the main provisions regarding classification of goods mentioned in Central Excise Tariff Act, 1985.

इकाई—2

(UNIT—2)

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निर्धारण के लिए माल के मूल्यांकन की गणना कैसे की जाती है ?

How is the valuation of goods calculated for assessment for Central Excise?

अथवा

(Or)

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के लिए माल का शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए:

(i)	उत्पाद शुल्क सहित विक्रय मूल्य (इसमें 5%	
	की दर से वैट शामिल है)	₹ 75,000
(ii)	उत्पाद शुल्क की दर	12.5%
(iii)	व्यापारिक बट्टा दिया जायेगा	₹ 6,960
(iv)	भाड़ा (अलग से वसूल करना है)	₹ 2,000

Calculate the assessable value for the purpose of levy of Excise Duty from the following particulars :

Cum-duty selling price inclusive of

(i)

` ,	VAT @ 5%	₹ 75,000
(ii)	Rate of excise duty applicable to the product	12.5%
(iii)	Trade discount allowed but not deducted	₹ 6,960
(iv)	Freight (to be charge extra)	₹ 2,000

P. T. O.

[4] CD-129

इकाई—3

(UNIT—3)

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (कोई तीन) :
 - (i) ER-1
 - (ii) दैनिक स्टॉक रिकार्ड
 - (iii) उत्पाद शुल्क का भुगतान
 - (iv) बॉण्ड्स
 - (v) सेम्पल्स
 - (vi) बडी करदाता इकाइयाँ
 - (vii) पर्सनल लेजर एकाउण्ट

Write short notes on the following under Central Excise Act (any *three*):

- (i) ER-1
- (ii) Daily Stock Register
- (iii) Payments of Excise Duty
- (iv) Bonds
- (v) Samples
- (vi) Large Tax Payer Units
- (vii) Personal Ledger Account (PLA)

अथवा

(Or)

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर से आप क्या समझते हैं ? सेनवेट क्रेडिट (CENVAT Credit) को समझाइए। What do you understand by Central Valued Added Tax ? Explain the CENVAT Credit.

इकाई—4

(UNIT-4)

- सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित को समझाइए (कोई चार) :
 - (i) यात्री सामान
 - (ii) तटीय माल
 - (iii) निषेधित माल
 - (iv) विदेश गमनीय यान
 - (v) निर्यात
 - (vi) सीमा शुल्क क्षेत्र
 - (vii) शुल्क योग्य माल

Explain the following under Customs Act (any four):

- (i) Baggage
- (ii) Custom Goods
- (iii) Prohibited Goods
- (iv) Foreign going vessel or aircraft
- (v) Export
- (vi) Custom Area
- (vii) Dutiable Goods

अथवा

[6]

(Or)

एक भारतीय व्यापारी ने 10,000 डॉलर का माल आयात किया परन्तु इसमें निम्नलिखित व्यय शामिल नहीं हैं :

- (i) माल खरीदने का कमीशन 200 डॉलर, भारतीय व्यापारी के एजेन्ट को दिया।
- (ii) पैकिंग व्यय—बारदाना 500 डॉलर, अन्य पैकिंग का सामान 100 डॉलर, मजदूरी 300 डॉलर।
- (iii) भारतीय बन्दरगाह तक परिवहन व्यय FOB मूल्य का 20%।
- (iv) बीमा प्रीमियम FOB मूल्य का 1.125%। सीमा शुल्क की गणना के लिए शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। विनिमय दर:
- (i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित दर 1 डॉलर = ₹ 60.20 |
- (ii) बोर्ड द्वारा घोषित दर 1 डॉलर = ₹ 60 |

An Indian dealer imported goods with 10,000 dollars, however the following expenses are not included in it:

(i) Buying commission paid to an agent of Indian dealer 200 dollars.

[7] CD-129

- (ii) Packing charges—containers 500 dollars, other packing materials 100 dollars, labour charge 300 dollars.
- (iii) Transportation charges to Indian port 20% of FOB value.
- (iv) Transit insurance premium 1.125% of FOB value.

Compute assessable value to calculate custom duty.

Exchange Rate:

- (i) Declared by the RBI ₹ 60.20 per dollar.
- (ii) Notified by the Board ₹ 60 per dollar.

इकाई—5

(UNIT—5)

 सीमा शुल्क अधिकारियों के अधिकारों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए।

Discuss the powers and rights of custom officers.

अथवा

(Or)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) निर्यात प्रोत्साहन
- (ii) सीमा शूल्क अधिनियम में दण्ड सम्बन्धी प्रावधान
- (iii) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत माल को जब्त करना
- (iv) सीमा शुल्क अधिनियम में अपील सम्बन्धी प्रावधान

Write short notes on any two of the following:

- (i) Export incentives
- (ii) Provisions regarding penalties under Customs Duty
 Act
- (iii) Confiscation of goods under Customs Duty Act
- (iv) Provision regarding appeal under Customs Duty
 Act